न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद संख्या–84 / 2014–15

विक्रम सिंह उर्फ अरूण किशोर प्रसाद नारायण सिंह

बनाम माता भगवती सेवायत अजय सिंह

(Under Section 8 of the Bihar Land Mutation Act, 2011)

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में निदेश तारीख सहित
1	2	3

आदेश

30/8/16

यह पुनरीक्षण वाद दाखिल खारिज अपील वाद सं0 07 / 2014–15 में भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के द्वारा दिनांक–17.11.2014 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है।

विवादित भूखण्ड का विवरण

अंचल	मौजा	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा नं0	रकवा
1	2	3	4	5	6
पटना सदर	दीघा	01	1362 1423	2507 2503 2512 374	2.66 ए0

प्रथम पक्ष का कहना है कि

(1) प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष सहोदर भाई हैं।

(2) इस वाद के विपक्षी के द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0 496 / 1 वर्ष 2002–03 के द्वारा अन्य भूखण्ड के साथ प्रश्नगत भूखण्ड का दाखिल खारिज अपने नाम से करवा लिया गया था।

(3) दाखिल खारिज वाद सं0 496 / 1 वर्ष 2002–03 में दिनांक 04.02.2003 को पारित आदेश के विरूद्ध इस वाद के आवेदक के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के न्यायालय में दाखिल खारिज अपील सं0 40 / 2003–04 दायर की गयी। उक्त अपील पर आज तक निर्णय नहीं हुआ।

(4) उभय पक्ष के पिता राजा राम किशोर प्रसाद नारायण सिंह अपने पीछे दो पुत्र विक्रम सिंह एवं अजय सिंह को छोड़कर वर्ष 2001 में स्वर्ग सिधार गए।

(5) राजा राम किशोर प्रसाद नारायण सिंह के द्वारा दिनांक 30.06.1929 को कोई वसीयतनामा अथवा समर्पणनामा निष्पादित नहीं किया गया, न ही किसी सक्षम न्यायालय से उसका प्रोबेट किया गया, जिसके आधार पर इस वाद के विपक्षी के द्वारा विवादित भूखण्ड पर दावा किया जाता रहा है।

(6) अंचलाधिकारी, पटना सदर के द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0

1083/1 वर्ष 2013–14 के द्वारा नियम संगत ढंग से इस वाद के आवेदक के पक्ष में दाखिल खारिज की स्वीकृति दी गयी।

(7) विपक्षी के द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0 1083/1 वर्ष 2013–14 में दिनांक 10.03.2014 को पारित आदेश के विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के न्यायालय में दाखिल खारिज अपील वाद सं0 07/2014–15 दायर किया गया।

(8) दाखिल खारिज अपील वाद सं0 07/2014–15 में भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के द्वारा दिनांक 17.11.2014 को पारित आदेश अनुचित एवं विधि विरूद्ध है, जो रद्द करने योग्य है।

विपक्षी का कथन है कि

(1) प्रस्तुत वाद चलने योग्य नहीं है तथा रद्द करने योग्य है।

(2) दाखिल खारिज वाद सं0 $\frac{1083}{1}$ वर्ष 2013–14 में अंचलाधिकारी, पटना सदर के द्वारा पारित आदेश पूर्णतः अवैध था, जिसे अपील सं0 07/2014–15 के अन्तर्गत भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के द्वारा निरस्त कर दिया गया।

(3) अंचलाधिकारी, पटना सदर के द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर दाखिल खारिज वाद सं0 1083/1 वर्ष 2013–14 में आदेश पारित किया गया था। दाखिल खारिज अपील सं0 07/2014–15 में भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के द्वारा दिनांक 17.11.2014 को पारित आदेश पूर्णतः विधि सम्मत है तथा यह पुनरीक्षण वाद रद्द करने योग्य है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुनने, उपलब्ध कागजात एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के परिशीलन से निम्न तथ्य सामने आते है।

(1) प्रश्नगत मामला स्वत्व एवं हिस्सा के निर्धारण का है, जिसका निस्तार सक्षम व्यवहार न्यायालय से हीं हो सकता है।

(2) दाखिल खारिज वाद सं0 496/01 वर्ष 2002–03 के द्वारा अन्य भूखण्ड के साथ प्रश्नगत भूखण्ड के दाखिल खारिज की स्वीकृति अजय सिंह के पक्ष में दी गयी। उक्त आदेश के विरूद्ध इस वाद के आवेदक के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के न्यायालय में दाखिल खारिज अपील वाद सं0 40/2003–04 दायर किया गया, जिसे उभय पक्ष को सुनने के पश्चात दिनांक 02.08.2005 को निरस्त कर दिया गया।

इस वाद में आवेदक के द्वारा यह कहा जा रहा है कि दाखिल खारिज अपील वाद सं0 40/2003–04 में अभी तक कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। स्पष्ट है कि आवेदक के द्वारा तथ्य को छुपाते हुए यह पुनरीक्षण वाद दायर किया गया है।

(3) दाखिल खारिज अपील वाद सं0 40/2003–04 में दिनांक 02.08.2005 को पारित आदेश के विरूद्ध कोई पुनरीक्षण वाद दायर नहीं किया गया, अतः दिनांक 02.08.2005 का आदेश अंतिम माना जायेगा।

(4) इस वाद के आवेदक के द्वारा अजय सिंह के नाम से कायम

जमाबंदी में $\frac{1}{3}$ हिस्से पर दावा करते हुए अजय सिंह की जमाबंदी में अपना नाम भी सम्मिलित करने हेतु आवेदन अंचलाधिकारी, पटना सदर को दिया गया। अंचलाधिकारी, पटना सदर के द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0 1083/1 वर्ष 2013–14 के अन्तर्गत राजस्व कर्मचारी से प्रतिवेदन प्राप्त कर इस वाद के पक्ष में दाखिल खारिज की स्वीकृति दे दी गयी। अंचलाधिकारी, पटना सदर के द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0 1083/1 वर्ष 2013–14 में पारित आदेश में प्रथम दृष्टया निम्न त्रुटियाँ परिलक्षित होती है।

(क) अंचलाधिकारी, पटना सदर के द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा कर हिस्से का निर्धारण करते हुए दाखिल खारिज की स्वीकृति दी गयी, जो नियम सम्मत नहीं है।

(ख) दाखिल खारिज के लिए सबसे महत्वपूर्ण आधार दखल कब्जा होता है। दाखिल खारिज वाद सं0 1083/1 वर्ष 2013–14 में राजस्व कर्मचारी के द्वारा दखल–कब्जा के बिन्दु पर कोई प्रतिवेदन नहीं दिया गया है। बिना दखल–कब्जा के प्रतिवेदन के अंचलाधिकारी, पटना सदर के द्वारा दाखिल खारिज की स्वीकृति दी गयी है, जो उचित नहीं है।

(5) दाखिल खारिज अभिलेख की सत्यापित प्रति से स्पष्ट है कि प्रश्नगत मामले में जमाबंदीदार को बिना सूचना दिये दाखिल खारिज की स्वीकृति दी गयी है, जो दाखिल खारिज नियमों का उल्लंघन है।

प्रश्नगत मामले में मैं यह पाता हूँ कि दाखिल खारिज अपील वाद सं0 07/2014–15 में भूमि सुधार उप सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के द्वारा दिनांक 17.11.2014 को पारित आदेश पूर्णतः विधि सम्मत है। उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

पुनरीक्षण आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

30/8/16

(वजैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्ता,पटना

30/8/16

(वजैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्ता,पटना